



RAJASTHAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER)
DURGAPURA, JAIPUR



कमांक:एफ.9()श्रीकनकृवि/निदे.राकूअसं/लेखा/2016/3697

दिनांक:29.03.2016

ई-निविदा

इच्छुक अधीकृत/पंजीकृत निविदादाताओं से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा एवं खेरवाड़ी फार्म, दोलतपुरा आमेर जिला जयपुर पर कृषि एवं अन्य विविध कार्य हेतु श्रमिकों की आपूर्ति जिसकी अनुमानित लागत रुपये 70.00 लाख प्रतिवर्ष हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने के दिवस 31.03.2016 से 30.04.2016 दोपहर 02:00 बजे तक। निविदा शुल्क धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट व ई-निविदा दिनांक 02.05.2016 को सायं 05:00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। निविदा दिनांक 03.05.2016 को दोपहर 2.00 बजे अधौहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा सूचना, निविदा की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण ई-निविदा की बेबसाइट राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपायन पोर्टल <http://spp.raj.nic.in> या विभागीय बेबसाइट www.raridurgapura.org से डाउनलोड की जा सकती है।

(सर्वजीत सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर निवेदन है कि कृपया नियत दिनांक को अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर लेख है कि निविदा को राज्य लोक उपायन पोर्टल <http://spp.raj.nic.in> पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. अध्यक्ष, टीएपी कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. सदस्य, टीएपी कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. प्रभारी, फार्म, राजस्थान कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. डॉ. (श्रीमती) रानी सक्सैना, सहायक आचार्य, राजस्थान कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा, जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. समस्त नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
दुर्गापुरा, जयपुर

अनुमानित लागत रुपये 70.00 लाख

अंतिम तिथि – 30.04.2016 समय– 02:00 PM

निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 1000.00

बोली प्रतिभूति (Bid security) रुपये 140000.00

ई-निविदा

तकनीकी निविदा प्रपत्र

कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र (वित्तीय वर्ष 2016-17)

1. कृषि कार्य के लिए दर संविदा हेतु निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
डाक का पता, टेलीफोन नं० TAN No.
3. सम्पर्क कार्यालय का पता
4. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
5. निविदा सूचना संदर्भ दिनांक
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रुपये 1000.00 निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम, निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र 'अ' में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक सीलबन्ध लिफाफे में रखी जाएगी।
9. प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से लगभग 12 माह के लिए मान्य होगी।
10. निविदा सूचना में अंकित राशि रुपये 140000.00 बोली प्रतिभूति के रूप में निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के पक्ष में बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०

विवरण

राशि (रुपये)

11. निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'ब' संलग्न है।
12. निविदा फार्म के साथ Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'स' संलग्न है।

13. निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' संलग्न है।

नोट:- निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति, श्रमिक रजिस्ट्रेशन पंजीयन श्रम विभाग, राजस्थान का प्रमाण पत्र व कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तथा टर्न ओवर आदि के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान :

दिनांक :

वित्तीय निविदा
(पृथक लिफाफे में रखे)

प्रपत्र 'अ'

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर

क्र.सं.	कृषि कार्य	अनुमानित दर	ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली दरें
1.	प्रयोगों की बुवाई- सब्जियों के अतिरिक्त-ट्रेक्टर द्वारा (ट्रेक्टर फार्म का होगा)	3560/- प्रति है.	
2.	निराई-गुड़ाईसभी फसलों व ग्वार पाठा (2-8 दिन की समय सीमा तक) अ. कुदाली द्वारा ब. खुरपी द्वारा	7500/- प्रति है. 6500/- प्रति है.	
3.	कटाई, बंधाई एवं इक्टा करना (अ) गेहूँ, जौ (ब) बाजरा (चुटाई भी शामिल है) (स) दलहनी, तिलहनी एवं अन्य रबी फसलें व खरीफ फसल (2-8 दिन की समय सीमा तक)	6870/- प्रति है. 6500/- प्रति है. 6000/- प्रति है.	
4.	मूंगफली बीज उत्पादन की ट्रेक्टर द्वारा थ्रेसिंग (ट्रेक्टर, मूंगफली थ्रेसिंग श्रमिक ठेकेदार के होंगे)	8000/- प्रति है.	
5.	मूंग, चवला की फलियाँ तुड़ाई प्रयोग एवं बीज उत्पादन (2-8 दिन की समय सीमा तक)	6000/- प्रति है.	
6.	नर्सरी से प्याज पौध की खुदाई करके पौधों को क्यारियों में 15, 10 से.मी. की लाईन में लगवाना (3-4 दिन की समय सीमा तक)	18600/- प्रति है.	
7.	प्याज कंदों की खुदाई, पत्तो की कटाई, तुलाई एवं स्टोर में रखना (2-8 दिन में)	18500/- प्रति है.	
8.	प्याज बीज हेतु कंदों को खेत में लाना, उपचार एवं बुवाई (2-8 दिन में)	15000/- प्रति है.	
9.	प्याज बीज के पके हुए फूलों की 2-3 बार में तुड़ाई, हाथ द्वारा फलों की कुटाई, बीज की सफाई के बाद स्टोर में रखवाना	18500/- प्रति है.	
10.	सिचाई/हैक्टेयर (1) स्प्रिंकलर द्वारा (दिन-रात) फसल सिचाई - 4 घन्टे (2) क्यारी द्वारा	1200/- प्रति है. 1800/- प्रति है.	
11.	अन्य विभिन्न कार्य प्रयोगशाला/कृषि कार्य हेतु 1. उच्च कुशल 2. कुशल 3. अर्द्धकुशल 4. अकुशल	(राजस्थान सरकार द्वारा देय दरें)	
		259/-प्रति 8घंटे	
		209/-प्रति 8घंटे	
		199/-प्रति 8घंटे	
		189/-प्रति 8घंटे	
12.	प्रयोगों के रेखांकन (लेआउट)	5000/-प्रति है.	

खैरवाडी फार्म पर फसलों में किये जाने वाले कृषि कार्य

1.	निराई-गुड़ाई सभी फसलें	8500/- प्रति है.	
2.	कटाई, बंधाई एवं इक्टा करना (अ) खाद्यान फसले (ब) दलहनी, एवं अन्य रबी फसलें व खरीफ	8000/- प्रति है. 8500/- प्रति है.	
3.	मूंग, चवला की फलियाँ तुड़ाई (2-3 दिन की समय सीमा तक)	7650/- प्रति है.	
4.	ट्रेक्टर द्वारा मूंगफली थ्रेसिंग	8080/- प्रति है.	
5.	सिचाई/हैक्टेयर (अ) स्प्रिंकलर द्वारा दिन-रात (ब) क्यारी द्वारा	1250/- प्रति है. 2000/- प्रति है.	
6.	अन्य विभिन्न कार्य प्रयोगशाला/कृषि कार्य हेतु 1. कुशल 2. अर्द्धकुशल 3. अकुशल	(राजस्थान सरकार द्वारा देय दरें)	
		209/-प्रति 8घंटे	
		199/-प्रति 8घंटे	
		189/-प्रति 8घंटे	

निविदा फार्म जमा कराते समय शर्ते

1. निविदा फार्म के प्रत्येक पेज पर निवेदक स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर इस कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा फार्म किस के लिए भरी गई है विवरण लिफाफे के उपर अंकित किया जाना आवश्यक है।
2. निविदा फार्म लिफाफे में रखकर सील अवश्य लगायें तथा लिफाफे पर खुली निविदा का नम्बर व दिनांक अंकित करें।
3. निश्चित अवधि तक पर्याप्त मात्रा में निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा खुलने की दिनांक बढ़ाई जा सकती है।
4. अमानत राशि एवं धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबन्ध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
5. श्रमिकों की उपलब्धता की दरें एफ.ओ.आर. दुर्गापुरा, जयपुर केन्द्र होगी।
6. कम से कम 3 वर्ष पूर्व का राजस्थान के जोन III-A में कृषि कार्य (बाजरा, मूंग, मूंगफली, ग्वार, गेंहूँ, चना, मटर, मसूर इत्यादि फसलों में) अनुभव प्रमाण पत्र एवं आयकर प्रमाण पत्र. निविदा फार्म के साथ संलग्न करें।
7. निविदादाता अगर बीच में कार्य छोड़ता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
8. अधौहस्ताक्षरकर्ता को बिना बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संलग्न:- निविदा की शर्ते (पृष्ठ 1-2)

निदेशक
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
दुर्गापुरा-जयपुर

निविदा की शर्तें :-

1. इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग 70,00,000 (सत्तर लाख) रुपये है। अतः सफल निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में 5 प्रतिशत राशि अर्थात् 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार) रुपये सफल निविदादाता को एक सप्ताह के भीतर इस राशि को निदेशक कार्यालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
2. ठेकेदार को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
3. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता है, तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
4. ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन पंजीयन श्रम विभाग, राजस्थान में कम से कम 40 श्रमिक ठेके पर प्रतिदिन उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है।
5. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जितने कम पुरुष श्रमिक होंगे उसके अनुसार रुपये 40/- (चालीस रुपये) प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से शासित (Panelty) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिकों के देय भुगतान में से इस शासित (Panelty) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
6. ठेकेदार अगर कुल मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उस दिन उसके द्वारा जितने श्रमिक कम उपलब्ध करवाये जायेंगे उनके कुल दैनिक भुगतान देय राशि की गणना 15 प्रतिशत शासित (Panelty) के हिसाब से करके उस दिन उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों की ठेकेदार को देय कुल भुगतान राशि में उसमें से शासित (Panelty) राशि कम करके उस दिन का भुगतान देय होगा।
7. ठेकेदार इस संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं करेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरे बढ़ायी जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान देय होगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवस देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा। अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से निदेशक, कार्यालय दुर्गापुरा में शासित (Panelty) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को भुगतान फार्म स्टॉफ के सामने कराना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रखकर निविदा भरें।
9.
 - अ. फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगाकर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम नाबालिग आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर फार्म स्टॉफ को किसी प्रकार का संदेह किसी भी कार्यरत श्रमिक की उम्र इत्यादि पर होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।
 - ब. श्रमिकों के प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित निदेशक कार्यालय, दुर्गापुरा को देनी होगी। उसके पश्चात ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
10. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा को ठेकेदार से होगा।
11. सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरुष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे अन्यथा बिन्दु संख्या 5 में अंकित निर्धारित शासित (Panelty) देनी होगी।
12. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की अनुसंधान कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 04:30 बजे तक फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जायेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आक्समिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी उस दिन रात्रि 09:00 बजे तक ठेकेदार को फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जायेगा उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। सूचित नहीं करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को फार्म इन्चार्ज कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।
13. ठेकेदार अनुसंधान कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तो निदेशक कार्यालय, दुर्गापुरा अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

14. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। अनुसंधान कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि में घटायी या बढ़ाई जा सकेगी तथा ठेका अवधि एक साल तक आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
15. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी उसे ठेका देने का अधिकार निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा को होगा।
16. आयकर आदि की कटौती मान्य दरों से निदेशक कार्यालय, दुर्गापुरा द्वारा सीधे ठेकेदार के बिलों के भुगतान से काटी जायेगी।
17. इस अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा एकल आबट्रिटर होंगे एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई. एस. आई. एवं पी. एफ. वर्कमेन काम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टेक्स आदि राज्य सरकार के नियमानुसार देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ई. एस. आई. एवं पी. एफ. निरीक्षक द्वारा जांचे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
18. आकस्मिक दुर्घटना की दशा/ कार्य में लापरवाही करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियां ठेकेदार/श्रमिक की होगी।
19. ठेकेदार इस संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं करेगा अतः ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्यनजर रखते हुए इस निविदा में विभिन्न केटैगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
20. निदेशक, दुर्गापुरा न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोड़ने के लिये बाध्य नहीं होगा। न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा।
21. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई श्रमिकों की दरों में अगर समानता होती है तो उस स्थिति में निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
22. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबंध पत्र पर रुपये 5000 (पाँच हजार रुपये) के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
23. सभी निविदादाता जो निविदा भर रहे हैं उनको यह हस्ताक्षर करके देना होगा कि उक्त निविदा की शर्तों को भली भाँती पढ़ लिया है और समझ लिया है, मैं इनसे सहमत हूँ और इसकी पालना करूँगा।
24. सरकार द्वारा मजदूरी जितना प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

दिनांक :

स्थान :

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय स्पष्ट नाम
मय फर्म की रबड़ मोहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि हमने जिन श्रमिकों को जहां कही भी उपलब्ध करवाया है, विगत 3 वर्षों में हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में श्रमिकों से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि हमने जिन श्रमिकों को जहां कही भी उपलब्ध करवाया है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Affidavit
(on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-)

I S/o

Aged Yrs, residing at

Proprietor/Partner/Director of M/s

do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center The acknowledgment No. is Dated and has been issued for manufacture of following itmes:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor/Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I S/o aged yrs

residing at Proprietor/Partner/Director of M/s

verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष

ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रुपये)

2012–13

.....

2013–14

.....

2014–15

.....

योग

.....
.....

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

FORM No. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official Address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place Date

.....
Appellant's Signature